बिहार सरकार
कृषि विभाग

संचिका संख्या–2(गो०)सी०–2–71/2017 – /कृ0, पटना, दिनांक 2017

प्रेषक,

बीरेन्द्र कुमार सिंह
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

निबंधित
ई0–मेल0

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।
नियंत्रक माप एवं तौल, बिहार, पटना।
संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जॉच प्रयोगशाला, बिहार, पटना।
अपर निदेशक (रसायन), बिहार, पटना।
संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना।
उप निदेशक (पौधा संरक्षण), पटना प्रमंडल, पटना।
जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर/समस्तीपुर/जहानाबाद।

विषयः– **गोपनीय चारित्री उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि यथाशीघ्र विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आहूत की जानी है। प्रोन्नति के निमित बिहार कृषि सेवा कोटि–3 वर्ग–2, सहायक निदेशक (रसायन), कोटि–5 (पौधा संरक्षण) वर्ग–2 एवं कोटि–8 (माप एवं तौल) के पदाधिकारियों का संगत अवधि का अप्राप्त गोपनीय अभ्युक्ति की सूची संलग्न करते हुए करते हुए अनुरोध है कि सूची में अंकित पदाधिकारियों का अनुपलब्ध अवधि का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (PAR) विभागीय आदेश ज्ञापांक 836 दिनांक 31.07.2017 (विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध) के आलोक में एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराया जाए या फिर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 8060 दिनांक 03.06.2016 (छायाप्रति संलग्न) के प्रावधानों के आलोक में विशेष चारित्री एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराया जाए।

निर्धारित समय में अनुपलब्ध अवधि का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन/विशेष चारित्री प्राप्त नहीं होने पर प्रोन्नति हेतु उसपर विचार नहीं किया जा सकेगा।

अनु०–यथोक्त। विश्वासभाजन

ह०/–
(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक /कृ0,पटना,दिनांकः– 2017

प्रतिलिपिः– सूची में अंकित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव

D:\Prakash sec-2,2017\November Govt----.docx

ज्ञापांक 1081 /कृ0,पटना,दिनांकः– 30-11- 2017

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित एवं सभी संबंधितों को ई0मेल0 करने हेतु प्रेषित।

30/11/17

सरकार के अवर सचिव

बिहार कृषि सेवा कोटि–8 (माप एवं तौल) के पदाधिकारियों की गोपनीय अभ्युक्ति की स्थिति।

क्र० सं०	वरीयता क्रमांक (नया / पुराना)	पदाधिकारी का नाम / पदनाम	संगत अवधि का अप्राप्त गोपनीय अभ्युक्ति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	1	श्री जय प्रकाश नारायण उप कृषि निदेशक–सह–उप निदेशक माप एवं तौल, वर्ग–1	2011–12–अप्राप्त 2012–13–अप्राप्त 2013–14–अप्राप्त 2014–15–अप्राप्त 2015–16–अप्राप्त 2016–17–अप्राप्त	–

अनुमो. प्रेषित

बिहार कृषि सेवा कोटि–5 (पौ0सं0) वर्ग–2 के पदाधिकारियों की गोपनीय अभ्युक्ति की स्थिति।

क्र० सं0	वरीयता क्रमांक (नया / पुराना)	पदाधिकारी का नाम / पदनाम	संगत अवधि का अप्राप्त गोपनीय अभ्युक्ति की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	5/16	श्री मनोज कुमार सहायक निदेशक (पौ0सं0) पटना प्रमंडल, पटना।	2011–12–अप्राप्त 2012–13–अप्राप्त 2013–14–अप्राप्त 2014–15–अप्राप्त 2015–16–अप्राप्त 2016–17–अप्राप्त	–
2	7/16	श्री रविन्द्र कुमार सहायक निदेशक (पौसं0), भागलपुर।	2011–12–अप्राप्त 2012–13–अप्राप्त 2013–14–अप्राप्त 2014–15–अप्राप्त 2015–16–अप्राप्त 2016–17–अप्राप्त	–
3	11/16	श्री सत्येन्द्र कुमार चौधरी सहायक निदेशक (पौ0सं0), जहानाबाद।	2011–12–अप्राप्त 2012–13–अप्राप्त 2016–17–अप्राप्त	–
4	19/16	श्री रविन्द्र कुमार महतो सहायक निदेशक (पौसं0), समस्तीपुर।	2011–12–अप्राप्त 2012–13–अप्राप्त 2013–14–अप्राप्त 2014–15–अप्राप्त 2015–16–अप्राप्त 2016–17–अप्राप्त	–

अग्रसर पे०नि०

बिहार कृषि सेवा कोटि–3 वर्ग–2 सहायक निदेशक (रसायन) के पदाधिकारियों की गोपनीय अभ्युक्ति की स्थिति।

क्र0	पदाधिकारी का नाम	संगत अवधि का अप्राप्त गोपनीय अभ्युक्ति	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा सहायक निदेशक (रसायन) कार्यालय संयुक्त नियदेशक (शष्य), रसायन गुण नियंत्रण, पटना।	2013–14–अप्राप्त	
2	श्री पूर्णेन्दू नाथ झा सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जॉच प्रयोगशाला, कटिहार।	2011–12–अप्राप्त 2012–13–अप्राप्त	
3	श्री दिनेश कुमार सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जॉच प्रयोगशाला, भोजपुर।	2011–12–अप्राप्त 2012–13–अप्राप्त	
4	श्री सुबोध कुमार दास सहायक निदेशक (रसायन) कार्यालय JDA (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना।	2011–12–विहित प्रपत्र PAR में नहीं 2012–13–विहित प्रपत्र PAR में नहीं	

290

पत्रांक– 3/एम–77/2012 सा0प्र0– 8060/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अभिषेक सिंह, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 3. 6. 2016

विषयः– वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में सरकारी सेवकों को देय प्रोन्नति पर विचारण हेतु विशेष चारित्री अभिलिखित करने के संबंध में।

महाशय,

सरकारी सेवकों को देय प्रोन्नति में गोपनीय अभ्युक्तियों की अनुपलब्धता के कारण होने वाले विलम्ब को रोकने हेतु इस विभाग द्वारा गोपनीय अभ्युक्तियों के ससमय अभिलेखन के संबंध में विभिन्न परिपत्र निर्गत किये गये हैं। इस संबंध में निर्गत विभिन्न विभागीय परिपत्र यथा परिपत्र सं0– 10570, दिनांक– 24.10.2007, परिपत्र संख्या– 2108, दिनांक– 31.05.2010, एवं परिपत्र सं0– 1836, दिनांक– 01.02.2013 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त परिपत्रों द्वारा सरकारी सेवकों की गोपनीय अभ्युक्तियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उन्हें देय प्रोन्नति पर विचारण हेतु निम्न विकल्प प्रावधानित किये गये हैं :–

(i) विभागीय परिपत्र सं0 10570 दिनांक 24.10.2007 के अनुसार यदि किसी कारण वश देय प्रोन्नति की तिथि/वर्ष से पिछले पाँच वर्षों में से मात्र तीन वर्षों की ही गोपनीय अभ्युक्तियाँ उपलब्ध हो तो, उक्त पाँच वर्षों से पूर्व के संलग्न वर्षों की उपलब्ध गोपनीय अभ्युक्तियों में से दो वर्षों की अभ्युक्तियों का अवलोकन कर उसके आधार पर प्रोन्नति के मामले पर विचार किया जा‌य।

(ii) पिछले पाँच वर्षों में से तीन वर्षों की भी गोपनीय अभ्युक्तियाँ उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में विभागीय परिपत्र संख्या– 2108 दिनांक– 31.05.2010 द्वारा वर्ष 2009–10 तक की अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के मामले में यह

289

प्रावधानित किया गया था कि यदि ऐसी गोपनीय अभ्युक्तियों को अभिलिखित कराया जाना संभव नहीं रह गया हो तो वैसे वर्षों के लिए सम्बंधित सरकारी सेवक के वर्त्तमान पदस्थापन वाले विभाग/कार्यालय के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार द्वारा सम्बन्धित सरकारी सेवक के कार्य कौशल, चरित्र, आचरण आदि का मूल्यांकन करते हुए विशेष चारित्री प्रमाण–पत्र दिया जाय। ऐसा प्रमाण–पत्र, किसी सरकारी सेवक के पूरे सेवाकाल में मात्र एक बार दिया जायेगा और इसे अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का पर्याय माना जायेगा तथा इसके आधार पर संबंधित सरकारी सेवक को देय प्रोन्नति हेतु योग्यता का आकलन किया जा सकेगा।

(iii) विभागीय परिपत्र संख्या– 1836 दिनांक– 01.02.2013 द्वारा विशेष चारित्री प्रमाण–पत्र सम्बंधी उपर्युक्त कंडिका के प्रस्ताव को वर्ष 2009–10 के स्थान पर वर्ष 2010–11 तक के लिए विस्तारित किया गया।

2. उपर्युक्त वर्णित दिशा निर्देशों के बावजूद भी ऐसे दृष्टांत सामने आये हैं जिनमें संबंधित सरकारी सेवक की एक भी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति उपलब्ध नहीं रहती है। ऐसी भी स्थितियाँ बारम्बार सामने आ रही हैं, जिनमें एक प्रोन्नति विशेष चारित्री प्रमाण पत्र के आधार पर दिये जाने के उपरांत, पुनः अगली प्रोन्नति के लिए भी किसी भी वर्ष की गोपनीय अभ्युक्ति उपलब्ध नहीं रहती है। ऐसी परिस्थिति में सरकारी सेवकों को देय प्रोन्नतियाँ लंबे समय तक विभिन्न विभागों में लंबित रहती हैं अथवा विभिन्न विभाग अपने स्तर से ऐसे मामलों में अलग–अलग निर्णय लेते रहते हैं।

3. उल्लेखनीय है कि वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन, संबंधित नियंत्री प्राधिकार का दायित्व है, एवं इसकी अनुपलब्धता में संबंधित सरकारी सेवक का बहुधा कोई दोष नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में प्रोन्नति पर विचारण के क्रम में वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की अनुपलब्धता की समस्या से निबटने हेतु सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए सरकार द्वारा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधी पूर्व में निर्गत परिपत्रों द्वारा किये गये प्रावधानों को निम्नलिखित हद तक संशोधित करने का निर्णय लिया जाता है:–